UPST010017362026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित–सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू.पी.1885

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–548 / 2026

घनश्याम पाण्डेय उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र जटाशंकर पाण्डेय, निवासी ग्राम कलानीकला, थाना छावनी, जनपद बस्ती ..... प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–22 / 2026,
धारा–140(2), 115(2), 317(2), 127(2), 318(4),
336(3), 340(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता
थाना मुसाफिरखाना, जनपद–अमेठी

दिनांक 12.03.2026

प्रार्थी / अभियुक्त घनश्याम पाण्डेय की ओर से थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के मुकदमा अपराध संख्या–22 / 2026 अन्तर्गत धारा–140(2), 115(2), 317(2), 127(2), 318(4), 336(3), 340(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में पूर्व में किसी अभियुक्त का कोई अग्रिम / नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं हुआ है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा रमन कुमार अग्रहरि द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 13.02.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दि0 10.02.2026 को सुबह 8:30 बजे वादी अपने बेटे को स्कूल धरौली छोड़कर आ रहा था कि रास्ते में शुक्ला जी के पेट्रोल पम्प के पास चार अज्ञात व्यक्ति सफेद कार से आये और वादी को रोक कर उसकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठकर अपने साथ ले गये तथा रास्ते में वादी के साथ मार–पीट कर जान से मारने की धमकी देकर आठ लाख रूपये मंगवाकर ले लिये

तथा वादी को दिन भर घुमाने के बाद शाम को अयोध्या के पास छोड़ दिये। किसी तरह वादी घर आया और 112 को सूचना दिया। वादी कबाड़ का व्यापारी है तथा पूर्व से उसका राकेश मुसाफिरखाना, सुरेश व शंकरलाल निवासीगण गौरीगंज से विवाद है।

यह प्राथमिकी 04 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्राथमिकी के अनुसार दि0 10.02.2026 की प्रातः 8:30 बजे चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर 8,00,000/–रू0 की मांग का आरोप है तथा उसी दिन शाम को वादी को छोड़ देने का उल्लेख है, इसके बावजूद प्राथमिकी विलम्ब से दि0 13.02.2026 को दर्ज की गई। प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त की पहचान किस आधार पर की गई, यह स्पष्ट नहीं है। प्राथमिकी में 8,00,000/–रू0 की मांग का आरोप है, किंतु प्रार्थी/अभियुक्त से मात्र 5000/–रू0 की सामान्य नगदी की बरामदगी दर्शायी गयी है। कथित रंगदारी से उक्त नगदी का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध, सीरियल/ट्रेल या आंशिक भुगतान का उल्लेख अभिलेख पर नहीं है। प्राथमिकी में 112 को सूचना देने का उल्लेख है तथापि समकालीन 112 कॉल रिकॉर्ड, उसका समय या उससे सम्बन्धित कार्यवाही का कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। यदि तत्काल सूचना दी गई थी तो उसी दिन एफ0आई0आर0 क्यों नहीं दर्ज हुई, यह प्रश्न अनुत्तरित है। प्राथमिकी में मार–पीट व जान से मारने की धमकी का उल्लेख है, परन्तु चिकित्सकीय परीक्षण में गंभीर चोट/बंधन के संकेत उपलब्ध नहीं है। एक स्विफ्ट डिज़ायर वाहन का उपयोग बताया गया है, किन्तु प्राथमिकी में वाहन का पंजीकरण नंबर अंकित नहीं है। बाद की कार्यवाही में वाहन के इंजन/चेसिस नंबर से पंजीकरण मिलना मात्र सहायक तथ्य है, ''फर्जी नम्बर प्लेट'' के आरोप के समर्थन में आर0टी0ओ0/फॉरेंसिक सत्यापन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्त की गिरफ्तारी जौनपुर कैनाल से दर्शायी गयी है, जबकि घटनास्थल मुसाफिरखाना बताया गया है। गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर संदेह को बल इस तथ्य से मिलता है कि दि0 14.02.2026 को अभियुक्त के पिता द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत तथा दि0 15.02.2026 को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर यह आशंका व्यक्त की गई थी कि अभियुक्त को झूठे प्रकरण में फंसाया जा सकता है। आरोप पत्र अभी दाखिल नहीं हुआ है। वाहन व कथित नगदी पुलिस अभिरक्षा में है, कस्टोडियल पूछताछ की कोई आवश्यकता शेष नहीं

है। अभियुक्त जांच में सहयोग हेतु तत्पर है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, परन्तु दौरान विवेचना उसका नाम बतौर अभियुक्त प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक ऐसे संगठित गिरोह का सदस्य है, जो लोगों का अपहरण कर उनसे फिरौती के रूप में बड़ी रकम की मांग करता है तथा हत्या का भय दिखाकर उनसे रूपये ऐंठता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा का अपहरण कर उसके साथ मार–पीट करते हुए हत्या का भय दिखाकर उससे फिरौती के रूप में आठ लाख रूपये वसूल लिये गये। गवाहों ने अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा रमन कुमार अग्रहरि जब दि0 10.02.2026 को सुबह 8:30 बजे अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आ रहा था तो शुक्ला जी के पेट्रोल पम्प के पास उसका अपहरण कर लिया गया और फिरौती के रूप में आठ लाख रूपये की मांग की गयी, जिसे प्राप्त करने के पश्चात् दिन भर वादी को इधर–उधर घुमाने के बाद शाम को अयोध्या के पास छोड़ दिया गया।

2. केस डायरी के पर्चा नं0–1 में वादी रमन कुमार अग्रहरि का धारा–180 बी0एन0एस0एस0 का बयान दर्ज है, जिसमें वादी ने कथन किया है कि मैं स्क्रैप व्यापारी हूँ तथा ग्राम भीखीपुर मोड़ पर कबाड़ की दुकान चलाता हूँ व कबाड़ का खरीद फरोख्त करता हूँ। दि0 10.02.2026 को सुबह लगभग 8:30 बजे मैं अपने बेटे को सेमफोर्ड स्कूल धरौली छोड़कर आ रहा था कि रास्ते में हाईवे पर शुक्ला जी के पेट्रोल पम्प के आगे हमारे ही गांव के बगल के महेश सिंह अपने मामा के लड़के अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह व उनके साथ अन्य चार साथी सफेद स्विफ्ट डिजायर कार से आये तथा शुभम यादव सफेद मोटर साइकिल से पीछे से आये और सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार आगे लगाकर मुझे रोककर अनुज सिंह मेरी गाड़ी की चाभी खींच लिया और दो व्यक्ति पीछे मेरी बोलेरो में बैठकर मुझे धमकी देकर बीच वाली सीट पर बुला लिये तथा एक व्यक्ति आगे

ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया और महेश सिंह भी बीच वाली सीट पर दाहिने से गेट खोलकर बैठ गये और स्विफ्ट डिजायर में बैठा एक व्यक्ति मेरी बोलेरो के पीछे गाड़ी लगा लिया और ये लोग मेरी आंख में पट्टी बांध दिये। महेश सिंह ने मेरी कनपटी पर तमन्चा लगाकर कहा कि तुम तो मुझे जानते हो इसलिए ये लोग जो–जो बोलें, करते जाना और जितना पैसा मंगायें, उसे इनको दे देना। अगर यह बात पुलिस को या किसी दूसरे व्यक्ति को, जिससे पैसा मंगाओगे, उसने बताया तो तुम ज़िन्दा नहीं रहोगे। अगर तुम्हें ज़िन्दा रहना है तो इसमें चालाकी मत करना तब मैंने कहा ठीक है भैया मेरी जान बक्श दीजिए, मैं आप लोग सब कुछ जैसा कहोगे, वैसा करूंगा। थोड़ी देर बाद महेश ने कहा शुभम तुम मोटर साइकिल इधर लाओ, अब मैं तुम्हारी गाड़ी से चलूंगा। यह कहते हुए महेश सिंह मेरी बोलेरो से उतर कर मोटर साइकिल पर बैठ कर आगे बढ़ गया और शेष सभी मेरे साथ तमंचा से डरा धमका कर मार–पीट करते हुए कहने लगे कि 10 लाख रूपये मंगाकर तत्काल दो, नहीं तो जान से मार देंगे तथा इस तरह लगातार जान से मारने की धमकी देते हुए पैसा मंगवाने के लिए दबाव डाले और मेरा फोन स्विच ऑफ करके मेरे आंख में पट्टी बांधकर अज्ञात स्थान की ओर लेकर चले गये। चूंकि मैं डर गया था, इसलिए मैं इनके साथ रहा और ये लोग मेरे साथ मार–पीट भी किये तथा मुझसे मोबाइल से फोन से पैसा मंगाने के लिए कहे और मेरे आंख में बंधी पट्टी को खोल दिये और मुझसे कहे कि मोबाइल ऑन कर लो, नीचे की तरफ देखों और तुम्हारे सगे सम्बन्धी रिश्तेदार और परिचित, जिनसे तुम्हें पैसे मिलने की उम्मीद है, उनके नम्बरों पर फोन करके पैसा मंगाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। तब मैं जान जाने के भय से गाड़ी में बैठे–बैठे ही अपने रिश्तेदारों को अपने फोन मो0नं0 7814184928 से फोन करके पैसा मंगाना शुरू किया तो साढू के लड़के मोहित को फोन नं0 9598464892 पर फोन करके एक लाख रूपये नगद घर में रखा हुआ अड़तीस हजार नगद पत्नी अर्चना को मो0नं0 7986325313 पर फोन करके मेरे ड्राइवर हंसराज को मोबाइल नं0 7408597013 के माध्यम से फोन कर मंगाया। इसी बीच कुमारगंज के हमारे रिश्तेदार उमेश को फोन नं0 9793500400 पर फोन करके पचास हजार रूपये हमारे एच0डी0एफ0सी0 खाते में गूगल–पे से मंगाये, दादा का लड़का अनिरूद्ध बेसारा पूरब को मो0नं0 9417727058 को फोन कर उससे पच्चीस हजार रूपया मेरे एच0डी0एफ0सी0 खाते में गूगल–पे से मंगाये, दादा के लड़के शिवशंकर जो कि चण्डीगढ़ में रहते हैं, को उसके मो0नं0 8054249787 पर फोन कर उससे बीस हजार रूपये मेरे एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाते में गूगल–पे से मंगाये, मेरे भतीजे सन्दीप को फोन नं0 6239611814 पर फोन करके मैने एच0डी0एफ0सी0 बैंक के खाते में दस हजार

रूपया गूगल–पे से मंगाये, मेरे जानने वाले दिनेश साहू को मो0नं0 8957366092 पर फोन करके उनसे बीस हजार रूपये मैने एच0डी0एफ0सी0 खाते में गूगल–पे से मंगाये, मनोज साहू के मो0नं0 9670223593 पर फोन करके उससे 20000 हजार गूगल पे से मंगाया तथा मेरे मामा सुशील कुमार ने मेरे एच0डी0एफ0सी0 खाते में 40000 हजार रूपये गूगल–पे किया तथा मेरे रिश्तेदार अर्जुन को मो0नं0 6280768250 पर फोन करके उससे बीस हजार रूपये एच0डी0एफ0सी0 खाते में गूगल–पे से मंगाया तथा रिश्तेदार बबलू से 70000 रूपये डालने को कहा तो उसने 60000 रूपये मेरे एच0डी0एफ0सी0 खाते में गुगल–पे के माध्यम से भेजा तथा मेरे क्रेडिट कार्ड से मैने अपने करेन्ट अकाउन्ट आर0के0 सेल्स कार्पोरेशन में एक लाख रूपया डाला, इस तरह मेरे खाते मे कुल चार लाख से ऊपर की धनराशि हो गयी तथा उसी खाते का चेक गाडी में रखा था, जिस पर मेरी पत्नी का हस्ताक्षर बना हुआ था। उन लोगों ने हस्ताक्षर बने हुए चेक को फाड़ लिया और अनुज कुमार सिंह ने मुझे जान से मार देने की धमकी देकर उस चेक को फाडकर सौरभ पाण्डेय को दे दिया और बोला कि अपने आदमी को बताओ कि सौरभ पाण्डेय से मिले। मेरे ड्राइवर हंसराज को मेरे फोन नम्बर से फोन करके बुलाकर पहली बार में समय लगभग 03.00 बजे एक लाख अडतीस हजार रूपये गौरीगंज कट पर बनारस लखनऊ हाइवे पर स्थित पिण्डारा वाले शुक्ला जी के पेट्रोल पम्प के आगे जाकर ले लिया तथा सौरभ पाण्डेय ने मेरी पत्नी का हस्ताक्षर किया हुआ चेक दिया तथा मेरी पत्नी के पास भेजकर घर से एक और चेक चालीस हजार रूपये का मंगवाया तथा मुझसे ही फोन कराकर ड्राइवर को एच0डी0एफ0सी0 शाखा मुसाफिरखाना भेजकर दूसरी बार में समय लगभग 3.35 बजे शाम को चार लाख चालीस हजार रूपया उसी स्थान गौरीगंज कट पर बनारस लखनऊ हाइवे पर स्थित पिण्डारा वाले शुक्ला जी पेट्रोल पम्प के आगे जाकर सौरभ पाण्डेय ने ले लिया तथा पी0एन0बी0 गौरीगंज ब्रान्च से पत्नी का साढे तीन लाख रूपये का चेक भेजकर उससे साढे तीन लाख रूपया आहरित कराया तथा तीसरी बार में समय लगभग 05.45 बजे तीन लाख पचास हजार रूपया सौरभ पाण्डेय ने जबरन उसी स्थान पर मेरे ड्राइवर हंसराज को बुलाकर ले लिये। इस तरह मेरे बैंक एच0डी0एफ0सी0 मुसाफिरखाना के एक खाते से चार लाख रूपये, एक खाते से चालीस हजार रूपये तथा पंजाब नेशनल बैंक गौरीगंज से तीन लाख पचास हजार रूपये दिनांक 10 फरवरी 2026 को निकले तथा तीनों बार सौरभ पाण्डेय नाम के बदमाश के पास रूपया पहुंचाने मेरे कहने पर मेरा ड्राइवर हंसराज ही गया था। सौरभ पाण्डेय को अच्छी तरह से मेरा ड्राइवर हंसराज भी पहचान गया है, क्योकि हर बार पैसा वही पहुंचाया और सौरभ पाण्डेय

ने ही पैसा लिया। इस तरह इन लोगो ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर कुल रू0 928000/– (नौ लाख अट्ठाईस हजार रूपया) नगद सभी ने मिलकर ले लिये तथा रूपये लेकर मुझे अज्ञात स्थान की ओर लेकर चले गये तथा मुझसे अनुज प्रताप सिंह और सौरभ पाण्डेय बोले कि तुम जानते नहीं हो कि हम लोगों का क्या जलवा है, तुम अकेले–अकेले रोज नोट छाप रहे हो और हर दूसरे दिन लोहा लक्कड ट्रक भर के भेज रहे हो। हम लोग को तो जानते ही हो तुमको निपटा देंगे और अगर पुलिस में शिकायत किया तो तुम्हे तुम्हारे बीबी बच्चों सहित सपरिवार जान से मार देंगे और कहीं के नहीं रहोगे। हम लोग पहले भी कई बार लोगों को इस तरह जान माल की धमकी देकर रूपये लिये हैं लेकिन किसी ने हमारे खिलाफ मुँह नही खोला है और अगर पुलिस को सूचना हुई तो जान से हाथ धोना पडेगा। इस दौरान गाडी में जो लोग बैठे थे वह लोग आपस में जो नाम ले रहे थे कि क्यो बडे साहब सौरभ पाण्डेय क्या किया जाये तो अनुज प्रताप सिंह कहता था कि छोटे साहब राजकुमार यादव इस कबाडी के बारे में फैसला लेंगे। जो गाडी चला रहा था उसको बोल रहे थे क्यों बे ड्राइवर घनश्याम पाण्डेय (प्रार्थी/अभियुक्त) सो रहा है। बीच–बीच में बोल रहे थे कि क्यों बे गोण्डा के इस्लाम मियां इस कबाडी का काम तमाम कर दिया जाये क्या तो अनुज प्रताप सिंह बोलते थे अबे छोडो यह हमारे रिश्तेदार महेश सिंह की तरफ का कबाडी है, इसे सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी समझो फिर इससे दुबारा रूपया लिया जायेगा, इसको मारना ठीक नही है, लेकिन अगर इसने पुलिस को सूचना दिया तो इसे निपटाना ही पडेगा। इस तरह लगातार तमन्चा दिखाकर धमकाते रहे और शाम करीब साढ़े सात बजे तक उधर ही घुमाते रहे और फिर मुझे दिन भर घुमाने के बाद शाम को रसूलपुर टोल प्लाजा के आगे अयोध्या के पास गाडी से उतार दिया और दूसरी गाडी में बैठा दिये और मुझसे बोले की पट्टी मत खोलना, 15 मिनट बाद तुम्हे तुम्हारे बुलेरो की चाभी उसके आगे वाले टायर के आगे रखी मिलेगी, उसे उठा लेना और बुलेरो लेकर चुप चाप घर चले जाना और जाते समय उन लोगो ने मुजे 2000 रूपया भी दिया तथा बोले कि 1000 रूपया का डीजल डलवा लेना और कुछ खा पी लेना। करीब 15 मिनट बाद जब मैं पट्टी खोला तो देखा कि मैं अपने बोलेरो पर बैठा हूँ और वह लोग चले गये थे और मैं अपने बुलेरो से नीचे उतरा और आगे वाले दाहिने टायर के पास से चाभी उठाया तथा पास के ही पेट्रोल पम्प पर पहुंचा और बोलेरो में डीजल डलवाया तथा उसी डीजल डालने वाले तिवारी के नाम के व्यक्ति के फोन से अपने घर पर सूचना दिया।

3. वादी रमन कुमार अग्रहरि की मेडिकोलीगल रिपोर्ट में यह उल्लिखित

है कि:–

I. C/O SEVERE PAIN IN LEFT NECK

II. C/O SEVERE PAIN IN WHOLE THORAX AND ON EXAMINATION TENDERNESS WAS PRESENT

III. C/O SEVERE PAIN ON WHOLE ABDOMEN AND ON EXAMINATION TENDERNESS WAS PRESENT

4. हंसराज यादव, जो वादी मुकदमा का ड्राइवर है और जिसके द्वारा दि0 10.02.2026 को कई बार में रूपये सौरभ पाण्डेय को दिये गये हैं, का धारा–180 बी0एन0एस0एस0 का बयान केस डायरी के पर्चा नं0–5 में दर्ज है, जिसमें हंसराज यादव ने यह कथन किया है कि दिनांक 10.02.2026 को मेरे मालिक रमन अग्रहरि मुझे करीब 10.15 बजे फोन मिलाये और बोले कि चले जाओ घर कुछ पैसा रखा है, उसे एक जगह पहुंचाना है, इस पर मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी अर्चना बोली कि तुम्हारे मालिक किसी काम से बाहर गये है, उन्होने फोन करके किसी आदमी के पास कुछ रूपये पहुंचाने के लिए बोला है तो आपको हो सकता है कि पैसा लेने अढनपुर जाना पड़े। इतने में मालिक ने समय करीब 11.45 बजे दुबारा फोन किया कि उनके रिश्तेदार मोहित निवासी ग्राम अढ़नपुर एक लाख रूपया बैंक से निकाले हैं, जिसे लेकर घर ग्राम पूरे बेसारा पूरब पहुंचा दो। फिर मैं ग्राम अढ़नपुर चला गया और जब ग्राम अढ़नपुर पहुंचा तो समय करीब 12.30 बजे मालिक का फोन तीसरी बार आया और वह बोले की क्या पैसे का इन्तेजाम हो गया है तो मैने कहा कि हां पैसा मिल गया है। वह एक लाख रूपये लेकर ग्राम पूरे बेसारा पूरब वापस चला आया। मालकिन के फोन नम्बर 7986325313 पर भी मालिक लगातार फोन करके पैसे का इन्तेजाम करने के लिए कह रहे थे। समय करीब 14.48 बजे मालिक ने मुझे फोन करके कहा कि घर से रूपये लेकर जाओ और पिण्डारा वाले शुक्ला जी के पेट्रोल टन्की के आगे एक व्यक्ति खडा है। उसको रूपये दे दो और जब दे देना तो मुझसे बात कराना इसके बाद मालकिन ने घर से एक लाख अड़तीस हजार रूपये नगद निकालकर दिये, जिसे लेकर मैं गौरीगंज कट लखनऊ वाराणसी हाईवे के अन्डर पास के नीचे से पिकप से जाकर शुक्ला जी के टंकी के आगे पहुंचा तो एक व्यक्ति देखने में काफी तगडा था, मोटे कद काठी का था और मैने पूछा की आप कौन हो तो उसने बताया कि आपके मालिक रमन अग्रहरि हम को भेजे हैं, माल खरीदना है, पैसे दे दे दीजिए, तभी मालिक का भी फोन समय करीब 03.17 बजे आ गया और वह बोले कि जो व्यक्ति तुम्हारे पास खडा है, उसका नाम सौरभ पाण्डेय है, उसी को रूपया दे दीजिए तो फिर मैं एक लाख अड़तीस हजार रूपये सौरभ पाण्डेय को

दे दिया, सौरभ पाण्डेय ने अपने जेब से एक ब्लैंक चेक एच0डी0एफ0सी0 बैंक का निकालकर दिया और बोला कि यह चेक आपके मालिक भेजे हैं, इस पर अपने मालकिन अर्चना का हस्ताक्षर करा लो और एक चेक आपकी मालकिन घर से दूसरे खाते का निकालकर हस्ताक्षर कर देगी, जिसे लेकर बैंक जाइये और बैंक से नगद रूपया निकालकर लाओ। तब मालिक का फोन फिर आया कि जाओ अभी घर और वहां से जो चेक सौरभ पाण्डेय दिये हैं, उस पर अर्चना से चार लाख रूपया भरवाकर हस्ताक्षर करवा लो और दूसरा चेक अर्चना से निकलवा कर उसमें 40,000 रूपये भरवाकर उस पर भी हस्ताक्षर करवा लो और एच0डी0एफ0सी0 शाखा मुसाफिरखाना चले जाओ, मैने मैनेजर को फोन कर दिया है, वह रूपया निकलवाकर उसी जगह पर जाकर सौरभ पाण्डेय को दे दो। तब मैं फिर मालिक के घर गया और एच0डी0एफ0सी0 बैंक के चेक पर एक में 4,00,000 रूपया जोकि आरके सेल्स कारपोरेशन का करेन्ट अकाउन्ट का चेक था और दूसरे चेक में 40,000 रूपया भरवाकर, जोकि मालकिन अर्चना का सेविंग अकाउन्ट का चेक था, उस पर हस्ताक्षर करवाकर बैंक गया और दोनो अकाउन्ट से कुल मिलाकर 4,40,000 रूपया निकाले और उसी जगह जाकर दुबारा 4,40,000 नगद सौरभ पाण्डेय नामक व्यक्ति को दे दिया तो सौरभ पाण्डेय ने अपने जेब से एक पी0एन0बी0 का ब्लैंक चेक निकालकर दिया और बोला कि इस पर अपने मालकिन का हस्ताक्षर कराकर अपने मालिक से बात कर लो। फिर मैं मालकिन के पास गया तो उसी समय मालिक का भी फोन आया और बोले कि मैने बैंक मैनेजर को फोन कर दिया है। तत्काल गौरीगंज जाओ और 3,50,000 रूपये निकाल लो तो मालकिन ने उस चेक पर 3,50,000 रूपया धनराशि भरकर, जोकि आरके सेल्स कारपोरेशन का सीसी अकाउन्ट है, में हस्ताक्षर कर मुझे दिये, जिसे लेकर मैं गौरीगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक गया और वहां से 3,50,000 रूपये नगद निकालकर वापस आया और समय करीब 05.45 बजे शाम को उसी जगह पर सौरभ पाण्डेय नाम के व्यक्ति को दिया। फिर मालिक का फोन समय करीब 05.10 बजे से 05.45 बजे के बीच पांच बार आया और उन्होने पूछताछ किया कि पैसा दे दिया है तो मैने कहा कि पैसा हैण्डओवर हो गया है। शाम को मालकिन का फोन आया कि मालिक अभी लौटे नहीं, क्या हुआ तो मैने बताया कि मालिक जिस आदमी को पैसा दिलवा रहे थे, उसको मैने पैसा दिया हैं। मालिक का फोन स्विच ऑफ हो गया था। हम सभी चिन्ता में थे कि रात 10.00 बजे के करीब मालिक रमन अग्रहरी जब घर लौटे तो उन्होने बताया कि उनको पिण्डारा का महेश सिंह उनका भान्जा अरुण प्रताप सिंह, भीखीपुर के शुभम यादव के रेकी पर बोलेरो से अयोध्या अपहरण करके ले जाकर तमंचा दिखाते हुए जान माल की धमकी देकर

फिरौती मांगी और गम्भीर रूप से पीट कर तीन बार में कुल 9,28,000 रूपया फिरौती वसूल लिये हैं। मालिक ने बताया कि उस दिन जो–जो लोग गाडी मैं बैठे थे वह लोग बस्ती और गोण्डा साइड के थे तथा उनमे मुख्य रूप से महेश सिंह, शुभम यादव तथा महेश सिंह के के रिश्तेदार अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह व उनके साथ अन्य चार साथी घनश्याम पाण्डेय, सौरभ पाण्डेय, राजकुमार यादव, इस्लाम, जिनके नाम के बारे मुझे समाचार पेपर से जानकारी हुयी थी, भी शामिल थे।

5. केस डायरी के पर्चा नं0–5 में ही वादी रमन कुमार अग्रहरि के मोबाइल नंबर 7814184928 की कॉल डिटेल रिपोर्ट का विवरण दर्ज है, जो कि वादी के कथनों से मेल खाता है। उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उस दिन मुख्य रूप से वादी का लोकेशन अयोध्या के आस–पास था और उसने कई व्यक्ति को फोन किया था और इसमें हंसराज ड्राइवर और अपनी पत्नी अर्चना को उसने कई बार फोन किया था।

6. सहअभियुक्तगण महेश सिंह व सौरभ पाण्डेय को जब अयोध्या पुलिस द्वारा डकैती के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया, तब उक्त दोनो सहअभियुक्तगण ने यह स्वीकार किया कि हम लोग अपने साथी अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह, विनर्नाट धर्मा, सोनू चौधरी, राजकुमार, आदित्य चौधरी, घनश्याम पाण्डेय (प्रार्थी/अभियुक्त) व इस्लाम अहमद अक्सर रूपयों के लालच में लूटपाट करते हैं, हम अलग–अलग गाड़ियों से घूम–घूम कर आस–पास के जिलों में ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं, जो कार में हों और उन पर दबाव बनाकर उनके रिश्तदारें के माध्यम से रूपये मंगाकर उन्हें लूटते हैं। केस डायरी के पर्चा नं0–3 से यह भी स्पष्ट है कि सहअभियुक्तगण महेश सिंह व सौरभ पाण्डेय ने यह भी स्वीकार किया कि धरौली के पास एक पेट्रोल पम्प के पास से हम दोनो तथा अनुज प्रताप सिंह, घनश्याम पाण्डेय (प्रार्थी/अभियुक्त), राजकुमार यादव व इस्लाम अहमद ने मिलकर एक व्यक्ति को डरा धमकाकर आठ लाख रूपये मंगवाये थे, उसे दिन भर घुमाकर शाम को अयोध्या के पास छोड़कर चले गये थे। वह अपने आप को कबाड़ का व्यापारी बता रहा था। सहअभियुक्त सौरभ पाण्डेय ने बताया कि मेरे पास जो 10,000/–रूपये मिले हैं, वह उसी घटना के हैं। इसके अतिरिक्त उसके हिस्से में अमेठी वाली घटना में 85,000/–रू0 और मिले थे, जिसे उसने अपने अलग–अलग बैंक खातों में जमा कर दिया है। सहअभियुक्त महेश सिंह ने बताया कि उसके पासे से जो 40,000/–रू0 मिले हैं, वह भी अमेठी वाली घटना के ही हैं।

7. केस डायरी के पर्चा नं0–4 से यह स्पष्ट है कि दि0 16.02.2026 को स्विफ्ट डिजायर कार में बैठे हुए अभियुक्तगण अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह एवं घनश्याम पाण्डेय (प्रार्थी/अभियुक्त) को गिरफ्तार किया गया। सहअभियुक्त अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह के पास से पुलिस द्वारा 4,45,000/–रू0 व सहअभियुक्त राजकुमार यादव का आधार कार्ड, सहअभियुक्त सौरभ पाण्डेय का पैन कार्ड, एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार की कूटरचित नंबर प्लेट एवं प्रार्थी/अभियुक्त घनश्याम पाण्डेय के पास से पुलिस द्वारा 5000/–रू0, मोबाइल फोन, सहअभियुक्त सौरभ पाण्डेय का आधार कार्ड व राजकुमार यादव का पैन कार्ड बरामद किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त घनश्याम पाण्डेय ने पुलिस के समक्ष घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

8. प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण एक ऐसे संगठित गिरोह के सदस्य हैं, जो आम व्यक्ति का अपहरण कर उन्हें डरा धमकाकर तथा हत्या का भय दिखाकर फिरौती के रूप में बड़ी धनराशि वसूलते हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त गिरोह में सक्रिय भूमिका है।

9. सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमे को लेकर कुल 03 मुकदमे दर्ज हैं।

10. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहअभियुक्तगण महेश सिंह, अनुज प्रताप सिंह व शुभम यादव को वादी मुकदमा पहले से जानता पहचानता था, इसके बावजूद उसके द्वारा घटना के तीन दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि केस डायरी के पर्चा नं0–1 में दर्ज वादी मुकदमा के बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में वादी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मैं कबाड़ का व्यापारी हूँ। मैंने घटना के समय ही महेश सिंह, उनके मामा के लड़के अनुज प्रताप सिंह और मोटर साइकिल से आये शुभम यादव को पहचान लिया था लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग बड़े अपराधी हैं तथा कोई भी ऊँच नीच होने पर मुझे जान से मार देंगे इसलिए मैं मुकदमा ही नहीं लिखाना चाहता था लेकिन मेरे अढ़नपुर के रिश्तेदार ने एक लाख रूपया अपने खाते से निकालकर नगद दिया था तथा वह बार–बार दबाव बनाकर पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना दे दिये। मैं फिर भी मुकदमा लिखाने नहीं आया तो जिन लोगों ने मुझे पैसा गूगल–पे किया

था, उन लोगों ने दबाव बनाया तथा प्रशासन के सामने आने पर मेरा भी भय कम हुआ तो मैंने दि0 13.02.2026 को मुकदमा लिखाना ही उचित समझा।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना नहीं पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त घनश्याम पाण्डेय की ओर से थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के मुकदमा अपराध संख्या–22/2026 अन्तर्गत धारा–140(2), 115(2), 317(2), 127(2), 318(4), 336(3), 340(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 12.03.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code UP 1885

आशुलिपिक– मधुलिका सिंह

SUNIL KUMAR Digitally signed by SUNIL KUMAR